कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.

क्रमांक–1066 /96/आउशि/सम्बद्वता/17 :: :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यकम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यकमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26 (1) (पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यकमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/ समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यकमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 578/999/आउशि/सम्बद्वता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ हैं।

3. इस कार्यालय द्वारा प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत संस्था का अनापत्ति प्रमाण–पत्र अमान्य करनें संबंधी जारी आदेश कमांक 894/96/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 10/04/2017 को निरस्त किया जाता है।

4. प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कौशल्या रानी समिति अमहिया रीवा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	रानी कालेज आफ एजु0 महा0 रीवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यकम	बी0सी0ए0 प्रथम, पीजीडीसीए
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यकम	–
5	आदेश कमांक – 578/999/ /आउशि/सम्बद्वता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	बैंक द्वारा वेतन भुगतान किए जाने का विवरण पत्रक, ईपीएफ कटोत्रा नवीन सदस्यों की धारा–27 की अनुमोदित सूची, कालेज कोड 28 में प्राचार्य एवं पर्याप्त नियुक्ति नहीं ।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कालेज कोड 28 में प्राचार्य सहित 16 शिक्षकों की नियुक्तियां हैं तथा कार्यालयीन आदेश दिनांक 15/03/2017 के परिपेक्ष्य में संस्था द्वारा कमियों की पूर्ति कर दी गई है।

––––2.

7	प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	बी0सी0ए0 प्रथम, पीजीडीसीए
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	– निरंक –

5 विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

6. संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक–1067/96/आउशि/सम्बद्वता/17. भोपाल, दिनांक– 10/04/2017.
प्रतिलिपि :–

1– प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।

2– विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।

3– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा (म0प्र0)।

4– कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)।

5– प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।

6– संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

––––की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.